दिनांक–26.10.2013 को सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति विवरणी परिशिष्ट–1, में संलग्न है। बैठक में जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई जो निम्नवत है :–

I अमानत बराज योजना :–

(क) <u>शीर्ष कार्य (बराज)</u>

अद्यतन स्थिति :–

मुख्य अभियंता मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि, अमानत बराज एवं गेटों का कार्य पूर्ण है। बराज कन्ट्रोल रूम में wiring का कार्य पूर्ण होगया है एवं विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त हो गया है।

200 मी० की लम्बाई में गाईड बाँध का कार्य शेष है। जन अवरोध के कारण गाईड बाँध निर्माण के कारण डूब क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के लिये नये सिरे से भू–अर्जन के सीमांकण की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिये विभाग से ₹ 2.75 लाख के आवंटन की अधियाचना की गई है, जो प्रक्रियाधीन है।

उक्त भूमि के सीमांकण के बाद जन अवरोध समाप्त हो जायेगा एवं कार्य पूरा करा लिया जायेगा। पूछे जाने पर मुख्य अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि, इस कार्य का एकरारनामा $F_2$2008–09 के अन्तर्गत है एवं संवेदक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जन विरोध की समस्या समाप्त होते ही उनके द्वारा कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

मुख्य अभियंता द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि, दिसम्बर 2013 तक ग्रामीणों की रजामंदी प्राप्त कर ली जायेगी, तदोपरान्त एक माह में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

<u>निर्देश</u>

निर्देश दिया गया कि, जनवरी 2013 तक गाईड बाँध का कार्य निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाय।

कार्यवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।

(ख) <u>मुख्य नहर का कार्य</u>

अद्यतन स्थिति :–

295.00 आर० डी० लम्बी औरंगा दायीं मुख्य नहर के 0–136.55 आर० डी० तक प्रथम चरण में कार्य take-up किया गया है।

मुख्य नहर का कार्य Patches में 40% पूर्ण है, जबकि वितरण प्रणाली का कार्य 20% हुआ है।

प्रगति में मुख्य बाधा वन भूमि एवं भू–अर्जन की समस्या है।

127.85 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु भूमि उपायुक्त पलामू द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसके नक्शे के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। Joint verification की कार्रवाई होनी है।

मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली हेतु 104.55 हे० भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्य नहर के 0–42.00 आर० डी० तक (जहाँ वन भूमि involved नही है) कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसमें से 19.00 से 33.00 आर० डी० के बीच भू–अर्जन की कार्रवाई अंतिम चरण (धारा 12 के अन्तर्गत) में अपर समाहर्त्ता पलामू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2013 तक उक्त भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, तदोपरान्त मार्च 2013 तक नहर के 0–42.00 आर०डी० तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

इसके बाद 42.00 आर० डी० तक जल प्रवाह सम्भव हो सकेगा।

निर्देश

निर्देश दिया गया कि :–

(i) 127.85 हे० वन भूमि के अपयोजन हेतु मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर एवं संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर से सर्म्पक कर यथाशीघ्र Joint Verification करा लें एवं वन भूमि अपयोजन के कार्य को expedite कराया जाय।

(ii) दिसम्बर 2013 तक भू–अर्जन की प्रक्रिया पूरी कराकर वार्षिक कार्यक्रम 2013–14 निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 42.00 आर० डी० तक मुख्य नहर का कार्य मार्च 2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाय, ताकि नहर की इस दूरी तक पानी पहुँचा कर सिंचाई सुविधा प्रारंभ की जा सके।

कार्यवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

II बिहार राज्य के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित योजनाये :–

1. बटाने जलाशय योजना :–

अद्यतन स्थिति :–

(क) **शीर्ष कार्य** :– मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि, शीर्ष कार्य डैम एवं स्पीलवे का कार्य पूर्ण है। डैम में सभी 6 गेट लगा हुआ है, जो ग्रामीणों के विरोध के कारण चालित नहीं हो पा रहा है फलस्वरूप जल का संग्रहण नहीं हो रहा है।

इसका मुख्य कारण पुर्नवास की समस्या है।

झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास निति 2012 के तहत लगभग ₹ 42.00 करोड़ का भुगतान किया जाना है, जिसमें से ₹11.49 करोड़ विस्थापितों को भुगतान किया जा चुका है एवं ₹ 5.60 करोड़ भुगतान की प्रक्रिया में है।

चूँकि पूर्व में बिहार सरकार द्वारा प्रदत प्रशासनिक स्वीकृति में इस मद में ₹ 23.00 करोड़ का ही प्रावधान था जिसमें बिहार द्वारा पूर्व में 15.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रशासनिक स्वीकृति पुनरीक्षित करने की आवश्यकता होगी।

(ख) मुख्य नहर :–

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि :–

(i) बायीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है एवं इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(ii) दायीं मुख्य नहर के संदर्भ में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि दायीं मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली का कार्य लगभग 90% पूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष में दायीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण करा लेने का लक्ष्य है।

दायीं मुख्य नहर के अन्तर्गत 200–390 चेन तक का मिट्टी कार्य हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में अपर समाहर्ता पलामू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि भू–अर्जन की प्रक्रिया दिसम्बर 2013 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, तदोपरान्त एक माह में यह कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

2. <u>उत्तर कोयल परियोजना</u>

अद्यतन स्थिति :–

(क) **शीर्ष कार्य :–**

(i) **मंडल डैम :–** डैम का सिविल कार्य पूर्ण है। डैम के डूब क्षेत्र में पड़ने वाली पलामू टाईगर रिर्जव Forest की भूमि के अपयोजन का clearance वन्य जीव बोर्ड एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से नहीं प्राप्त होने के कारण गेट अधिष्ठापन का कार्य नहीं हुआ है जिससे reservoir में जल का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। JSAC की सहायता से उपरोक्त के लिये प्रस्ताव तैयार कराने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ii) **मोहम्मदगंज बराज :–** बराज का कार्य पूर्ण है। केवल 17 अदद् डेक स्लैब निर्माण का कार्य शेष है।

(ख) **मुख्य नहर**

(i) **दायीं मुख्य नहर :–** दायीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। इससे बिहार एवं झारखण्ड दोनों राज्यों में सिंचाई हो रही है।

(ii) **बायीं मुख्य नहर :–** इसका कार्य पूर्ण कराया जाना है।

<u>निर्देश :–</u>

दिनांक–23.10.2013 को माननीया मंत्री महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में उत्तर कोयल एवं बटाने जलाशय योजनाओं के संदर्भ में लिये गये निर्णय के अनुरूप निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया :–

(i) उत्तर कोयल एवं बटाने जलाशय योजनाओं के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रदत प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत विभाग द्वारा 2013–14 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्रशासनिक स्वीकृति की अवशेष राशि को ध्यान में रखते हुये 2013–14 में इन योजनाओं का कार्य कराया जाय।

(ii) इन दोनों योजनाओं के झारखण्ड भाग में पड़ने वाले अवयवों के अवशेष कार्य हेतु झारखण्ड सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समानान्तर रूप से कार्रवाई जारी रखी जाय।

(iii) Inter-state योजनाओं पर शीघ्र ही बिहार सरकार से विचार–विमर्श/बैठक करने हेतु कार्रवाई की जाये।

(iv) मंडल डैम के डूब क्षेत्र में पड़ने वाली वन भूमि के अपयोजन एवं Forest Clearance प्राप्त करने के कार्य हेतु अभियंता प्रमुख के स्तर से Consultant का चयन नियमानुसार कर लिया जाय।

(v) इन योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य मार्च 2013 तक समाप्त कराया जाय।

कार्यवाई :– मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर/अभियंता प्रमुख–I/मुख्य अभियंता (मो०)/संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग।

III. **ERM एवं पुनर्स्थापन कार्य :–**

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा बताया गया कि उनके परिक्षेत्राधीन तीस पुरानी योजनायें हैं, जिनसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजनायें जरजर स्थिति में हैं, एवं इनकी सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये इनका पुनर्स्थापन आवश्यक है।

वर्त्तमान में इसमें से पाँच योजनायें के ERM हेतु डी०पी०आर० तैयार कराने का कार्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गये Consultants से कराने की कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश :–

निर्देश दिया गया कि, प्राथमिकता के आधार पर उक्त पूरानी सिंचाई योजनाओं को ERM के अन्तर्गत take over कर AIBP से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए CWC द्वारा निर्धारित norms एवं guidelines के अनुरूप डी०पी०आर० तैयार कराने का कार्य विभाग द्वारा सूचिबद्ध Consultant से मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा कराया जाय।

कार्यवाई :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।

ह०/–
(अविनाश कुमार)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 /राँची, दिनांक :–................................

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), राँची/उपायुक्त, मेदिनीनगर/गढ़वा/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मेदिनीनगर/पुनर्वास पदाधिकारी मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/205/06 1522 **/राँची, दिनांक :–** 06.11.2013

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–1/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अचंल–1/संयुक्त सचिव (अभि०)/संयुक्त सचिव (प्र०)/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.XI.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

दिनांक–26.10.2013 को मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर प्रक्षेत्र समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

1	श्री अविनाश कुमार	–	सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची।
2	श्री बी० सी० निगम	–	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची।
3	ई० अरूण कुमार सिंह	–	अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची।
4	ई० सुरेन्द्र कुमार	–	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।
5	ई० अशोक कुमार	–	मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची।
6	ई० प्रभुनाथ सिंह	–	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, राँची।
7	ई० एस० रमन	–	अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर।
8	ई० एस० एन० साहु	–	अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा।
9	ई० एस० महेशवरी	–	अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, गढ़वा।

D:\Node-4\Mi Sir\A.A.K\Mrdininagar 26.10.2013.doc